

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*158  
10.03.2025 को उत्तर के लिए  
गंगा नदी में मल संबंधी कोलीफॉर्म का स्तर

\*158. श्री आनंद भदौरिया:

श्री के. सुधाकरनः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम पर पानी की गुणवत्ता स्नान के लिए प्राथमिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो हरिद्वार से हुगली तक स्थानवार मल संबंधी कोलीफॉर्म के स्तर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
- (ग) गंगा जल में मल संबंधी कोलीफॉर्म का स्तर अत्यधिक होने के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सीपीसीबी ने हाल ही में कोई ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह बताया गया है कि निगरानीकृत सभी स्थानों पर मल संबंधी कोलीफॉर्म का स्तर 2,500 यूनिट प्रति 100 मिलीलीटर की अनुमेय सीमा में अधिक था, जिससे जल-मल के व्यापक स्तर पर संदूषण का संकेत मिलता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;
- (ड) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के प्रयागराज में पानी की गुणवत्ता बनाए रखे जाने में विफल होने की स्थिति में सरकार द्वारा उक्त मुद्दे पर क्या कार्रवाई की गई; और
- (च) वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान 9 मार्च, 2025 तक गंगा नदी की सफाई के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\* \* \* \*

“गंगा नदी में मल संबंधी कोलीफॉर्म का स्तर” के संबंध में श्री आनंद भदौरिया और श्री के. सुधाकरन, माननीय संसद सदस्यगण द्वारा दिनांक 10.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*158 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

**(क) से (घ):**

माननीय एनजीटी ने कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में ओए संख्या 310/2022 तथा ओए संख्या 56/2024 में एमए संख्या 59/2024 के साथ दिनांक 23.12.2024 के आदेश द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए थे:

“महाकुंभ 2025 के दौरान जल गुणवत्ता के प्राथमिक मानदंडों को पूरा करने के लिए गंगा और यमुना नदी की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी नियमित अंतराल पर आवश्यक है।”

माननीय एनजीटी के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 12 जनवरी, 2025 से श्रृंगवरपुर घाट (प्रयागराज के ऊपरी प्रवाह) से दीहाघाट (प्रयागराज के अधोप्रवाह) तक संगम स्थल (गंगा और यमुना नदी का संगम बिंदु) सहित सात स्थानों पर (सप्ताह में दो बार) नियमित जल गुणवत्ता की निगरानी की, जिसमें गंगा शुभ स्नान (अमृत स्नान) के दिन, तथा ऐसे शुभ स्नान दिवसों के पूर्व और पश्चात के दिन में की गई निगरानी भी शामिल है।

तदुपरांत, सीपीसीबी ने माननीय एनजीटी के समक्ष दिनांक 03.02.2025 को अपनी प्रारंभिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रयागराज में स्थापित 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और 07 जियोसिंथेटिक डिवाटरिंग ट्यूब (जियो-ट्यूब) निस्पंदन (फिल्ट्रेशन) का निगरानी डेटा सहित 12 से 26 जनवरी, 2025 के दौरान एकत्र किए गए नदी जल गुणवत्ता डेटा दर्ज किया गया है।

इसके अलावा, सीपीसीबी ने जल गुणवत्ता डेटा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तीन और जल गुणवत्ता निगरानी स्थानों को शामिल किया और दिनांक 21.02.2025 से निगरानी की अवधि को बढ़ाकर प्रतिदिन दो बार कर दिया, इस प्रकार जल गुणवत्ता निगरानी स्थलों की कुल संख्या 10 हो गई।

दिनांक 23.12.2024 के आदेश के अनुपालन में माननीय एनजीटी के समक्ष दिनांक 28.02.2025 की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार, सभी निगरानी स्थलों के लिए पीएच, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) का औसत मध्यमान स्नान के पानी के लिए संबंधित मानदंड/अनुमेय सीमा के भीतर था।

**(ड.):**

हरित महाकुंभ 2025 के लिए जल की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहलें इस प्रकार थीं:

- i. अपशिष्ट जल के उपचार के लिए 10 एसटीपी स्थापित किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो।
- ii. 21 अप्रयुक्त नालों के अपशिष्ट जल उपचार के लिए अंतरिम उपचारात्मक उपाय के रूप में 7 जियोट्यूब स्थापित किए गए।

- iii. मेला क्षेत्र में तीन पूर्व-निर्मित अस्थायी एसटीपी स्थापित किए गए, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 केएलडी है।
- iv. कुल 200 केएलडी क्षमता (100 केएलडी, 50 केएलडी, 50 केएलडी) वाले तीन मल-कीचड़ उपचार संयंत्र (एफटीपी) स्थापित किए गए।
- v. उत्तर प्रदेश जल निगम ने अपशिष्ट जल के उपचार के लिए उन्नत ऑक्सीकरण तकनीक का उपयोग किया, जिससे अनुपचारित जल को गंगा नदी में जाने से रोका गया।
- vi. बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में शौचालय और मूत्रालय निर्मित किए गए थे।
- vii. अपशिष्ट निपटान के लिए पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान लगाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक में लाइनर बैग लगे हुए थे।
- viii. इस कार्यक्रम में स्वच्छता कर्मचारियों की एक विशिष्ट टीम द्वारा सहयोग किया गया था और कुशल अपशिष्ट परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में टिपर, हॉपर और रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स का बेड़ा तैनात किया गया था।
- ix. 600 टीपीडी और 300 टीपीडी क्षमता के दो जैव-खाद संयंत्र प्रचालन में थे।
- x. एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने के उद्देश्य से 'प्लास्टिक उन्मूलन महाअभियान' और 'आरंभ' जैसे अभियान चलाए गए।
- xi. प्लास्टिक वस्तुओं के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प जैसे 10 लाख पारंपरिक पत्तों के प्लेट (दोना-पतल ) वितरित किए गए।
- xii. तीर्थयात्रियों को पुनः उपयोग में लाने योग्य कपड़े के थैलों और स्टील की प्लेटों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'एक थैला, एक थाली' अभियान चलाया गया, जिसके तहत अपशिष्ट उत्पादन को कम करने के लिए 1.5 मिलियन स्टील प्लेट और 2 मिलियन कपड़े के थैले वितरित किए गए।
- xiii. मेला क्षेत्र में जूट और कपड़े के थैले निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा मिट्टी के कुल्हड़, दोना पतल प्लेट्स, दोना में पतल कटोरे, बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कप, प्लेट और कटोरे भी उपलब्ध कराए गए हैं।
- xiv. 'हर दुकान-एक स्पर्श' अभियान के तहत प्रत्येक स्थानीय दुकानदार को 02 कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए। प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन के साथ बैग वैंडिंग मशीनें भी लगाई गईं।

(च) :

गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए जून 2014 में 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 'नमामि गंगे' कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के दौरान और वर्ष 2024-25 में (03 मार्च, 2025 तक) प्रदूषण कम करने के साथ-साथ गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को आवंटित और जारी की गई राशि तथा एनएमसीजी द्वारा विभिन्न एजेंसियों को वितरित की गई राशि का वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और वर्ष 2024-25 में (03 मार्च, 2025 तक) 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत राज्यों में परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए 'स्वच्छ गंगा राज्य मिशनों' सहित विभिन्न एजेंसियों को संवितरित की गई राशि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## अनुलग्नक-।

भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी की गई राशि और एनएमसीजी द्वारा विभिन्न कार्यान्वयन/कार्यकारी एजेंसियों को संवितरित की गई राशि का वर्षवार विवरण (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 03 मार्च 2025 तक)

रुपये करोड़ में

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (आरई)	भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी धनराशि	एनएमसीजी द्वारा संवितरित/जारी धनराशि
2022-23	2,500.00	2,220.00	2,258.98
2023-24	2,400.00	2,400.00	2,396.10
2024-25	3,000.00	2,801.60	2,051.66*
कुल	7,900.00	7,421.60	6,706.74

\* 03 मार्च, 2025 तक

टिप्पणी:-

- i. वित्तीय वर्ष 2022-23 से एनएमसीजी पूरी तरह से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली में स्थानांतरित हो गया है। टीएसए से पहले, भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी किए गए अनुदान गैर-व्यपगत थे।
- ii. वर्ष 2022-23 में एनएमसीजी द्वारा किए गए संवितरण में पिछले वर्षों से आगे बढ़ाए गए अव्ययित अनुदान शामिल हैं।

‘नमामि गंगे’ कार्यक्रम के तहत वार्षिक संवितरण का राज्यवार विवरण- वित्तीय वर्ष 2022-23 से 03 मार्च, 2025 तक

क्रम सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25*
		(करोड़ रुपए में)		
1	उत्तराखण्ड	111.72	144.40	82.12
2	उत्तर प्रदेश	707.44	820.74	999.38
3	बिहार	873.39	878.96	333.98
4	झारखण्ड	4.75	32.60	97.23
5	पश्चिम बंगाल	255.52	150.88	229.72
6	मध्य प्रदेश	-	12.50	39.67
7	दिल्ली	77.33	161.18	-

**टिप्पणी 1 :** ऊपर दर्शाए गए राज्यवार संवितरण में (i) मलजल उपचार संयंत्रों (एसटीपी) और उससे संबद्ध बुनियादी ढांचे के लिए स्वच्छ गंगा राज्य मिशन, (ii) वनरोपण परियोजनाओं के लिए राज्य वन विभाग, (iii) हाइब्रिड ऐन्युइटी मोड पर कार्यान्वित एसटीपी परियोजनाएं, (iv) रिवर फ्रंट डेवलपमेंट (आरएफडी) / घाट परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, और (v) औद्योगिक प्रदूषण उपशमन परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि शामिल हैं।

\*\*\*\*\*